

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या - 12/2019-20

क्रमांक : प. 7 (01)परीक्षा/प्राध्यापक/स्कूल शिक्षा/2018-19/172

दिनांक : 19.09.2019

- शासन के कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 23.06.2019 के क्रम में जिन भर्तियों में अभी किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित नहीं हुयी है उनमें EWS को 10 प्रतिशत, MBC को 5 प्रतिशत एवं PH को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसके फलस्वरूप प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2018 में पुनः ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
- आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु विभिन्न विषयों में प्राध्यापक के पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्या 10/परीक्षा/प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा)/माध्यमिक शिक्षा/2018-19 दिनांक 13.04.2018, शुद्धि पत्र संख्या 10/2018-19 दिनांक 22.05.2018 एवं शुद्धि पत्र संख्या 04/2018-19 दिनांक 04.05.2018 के क्रम विभाग से प्राप्त नवीन संशोधित विषयवार वर्गवार वर्गीकरण निम्नप्रकार अधिसूचित किया जाता है :-

Sr.No.	Subject	No. of Post(s)	Gen.				EWS				S.C.				S.T.				OBC				MBC				P.H.			Ex-Ser.
			Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	B/LV	LD/CP		
<b>प्राध्यापक छात्र संस्थाएं (अनुसूची प्रथम के अनुसार)</b>																														
1	भूगोल	782	200	56	22	5	56	15	6	1	89	24	10	2	67	18	7	1	116	32	13	3	29	7	3	0	16	16	39	
2	अर्थशास्त्र	129	37	9	3	0	10	2	0	0	15	4	1	0	11	3	1	0	20	5	2	0	5	1	0	0	3	3	6	
3	पंजाबी	15	7	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
4	राजस्थानी	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
5	लोक प्रशासन	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
6	समाज शास्त्र	32	11	2	1	0	3	0	0	0	4	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
7	चित्रकला	40	12	3	1	0	4	0	0	0	5	1	0	0	4	0	0	0	7	1	0	0	2	0	0	0	1	1	2	
8	संगीत	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
9	इतिहास	613	158	44	17	4	44	12	4	1	70	19	8	1	53	14	5	1	91	25	10	2	22	6	2	0	13	12	30	
10	वाणिज्य	118	34	9	3	0	9	2	0	0	14	3	1	0	11	2	1	0	19	4	1	0	4	1	0	0	3	2	5	
11	जीव विज्ञान	166	45	12	5	1	12	3	1	0	19	5	2	0	15	3	1	0	26	6	2	0	7	1	0	0	0	7	8	
12	रसायन	160	43	12	4	1	12	3	1	0	19	4	2	0	15	3	1	0	25	6	2	0	6	1	0	0	0	7	8	
13	गृह विज्ञान	54	17	4	1	0	4	1	0	0	7	1	0	0	5	1	0	0	9	2	0	0	2	0	0	0	2	1	2	
14	हिन्दी	849	218	61	24	6	61	16	6	1	96	27	10	2	71	20	8	2	126	35	14	3	31	8	3	0	17	17	42	
15	राजनीति विज्ञान	815	209	59	23	5	58	16	6	1	92	26	10	2	70	19	7	1	121	34	13	3	29	8	3	0	17	18	40	
16	भौतिक	187	50	14	5	1	14	3	1	0	22	5	2	0	17	4	1	0	29	7	3	0	8	1	0	0	0	8	9	
17	कृषि	370	96	27	10	2	28	7	2	0	43	11	4	1	33	8	3	0	55	15	6	1	14	3	1	0	8	7	18	
18	गणित	193	52	14	5	1	15	3	1	0	22	6	2	0	18	4	1	0	29	8	3	0	8	1	0	0	0	8	9	
19	अंग्रेजी	304	80	22	8	2	22	6	2	0	36	9	3	0	27	7	2	0	45	12	5	1	11	3	1	0	7	6	15	
20	संस्कृत	156	43	12	4	1	11	3	1	0	19	4	1	0	14	3	1	0	24	6	2	0	6	1	0	0	4	3	7	
	योग	5000	1324	363	136	29	364	92	31	4	574	150	56	8	435	109	39	5	753	199	76	13	185	42	13	0	96	117	241	

नोट :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासी को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

- उक्त पदों हेतु ऑन लाईन आवेदन की अंतिम दिनांक 20.06.2018 से बढ़ाकर अब दिनांक 12.10.2019 को रात्रि 12.00 बजे तक की जाती है, इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इस शुद्धि पत्र के तहत ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 23.09.2019 से प्रारम्भ होगी।
- पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अपने नाम, फोटो तथा हस्ताक्षर के अतिरिक्त सभी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था परन्तु अब अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण हेतु पात्र है, वे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के संबंध में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से कर लें, उनके लिए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
- इस शुद्धि पत्र के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु की गणना का आधार नियमानुसार 01.07.2020 होगा।
- आयु एवं वांछित शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के आधार पर अपात्र अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करना आवश्यक है। शेष आयु एवं शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की दृष्टि से पात्र पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

- 8 **नवीन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया :-** आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए आवेदक को भेजी जायेगी। एस.एम.एस. से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :-  
यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित शुल्क रुपये 300/- देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। **ऑनलाईन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा।** आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- 9 **आवेदन प्रक्रिया :-**
1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline> से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर **Recruitment Portal** सर्विस का चयन करना होगा।
  2. **Recruitment Portal** पर आधार आधारित **One Time Registration (OTR)** कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।
  3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर **Recruitment Portal** पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा।
  4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें।
  5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
  6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित **Transaction** का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
- 10 विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(के.के. शर्मा)  
सचिव

---